(c) Officers of appointment for two posts of Tracer and one post of Ferro-printer have already been issued. Efforts are being made to fill the remaining vacant posts as early as possible.

Riots in the Mazagon Docks

5917. DR. VASANT KUMAR PANDIT:
SHRI R. K. MHALGI:
SHRI PUNDALIK HARI DANWE:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether on or about 14th July, there was a riot in the Mazagon Docks at Bombay.

(b) whether the Union Leaders of Magagon Dock Employees' Union were beaten by some anti-social elements in the premises of Mazagon Dock; and

(c) if so, what action Government has taken in the matter?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). A riotous situation developed in the premises of Mazagon Dock on 14th July 1977, when a large number of workers belonging to the Dockyard Labour Union protested against the visit to the yard, of the office bearers of the rival Union, viz. the Mazagon Dock Employees' Union. During the course of the demonstration, there were a few incidents of manhandling and assault. A report has been lodged with the Police. The management of Mazagon Dock have also set up a Board of Enquiry.

सेना के कैंपिंग के लिये भूमि का आरक्षण

5918. **श्री महो लाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सेना के कैंपिंग के लिए भूमि आरक्षित की गई थी ;

(ख) क्या वह बेकार पड़ी है और अब वह किस प्रयोजन में लाई जा रही है ;

(ग) क्या सरकार वही भूमि पट्टे के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों या स्थानीय भूमिहीन मजदूरों को आवंटित करना चाहती है ;

(घ) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भूमि कहां कहां अधिगृहीत की गई थी ; और

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले की नागोना तहसील में रसूलपुर अलीद खां गांव के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अतिगृहीत भूमि बहुत वर्षों से आवंटित नहीं की गई है और उस गांव के प्रभावशाली लोगों ने उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और वे उस गांव के भूमिहीन मजदूरों को उस पर खेती नहीं करने दे रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उत्तर प्रदेश में जिन 105 स्थानों पर कैंपिंग ग्राउन्ड हैं उनका एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन 105 कैम्पिंग ग्राउन्डों में से 25 का सेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है, 20 खाली पड़े हैं और शेष ग्राउन्ड कृषि प्रयोजनों के लिए अस्थायी-तौर पर पट्टे पर दिये गये हैं अथवा राज्य सरकार के कब्जे में हैं या किसी के अनधिकृत कब्जे में हैं ।

(ग) जहां तक सम्भव होता है अस्थायी रूप से फालतू कैम्पिंग ग्राउन्ड भूतपूर्व सैनिकों की पट्टे पर दिये जाते हैं और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक भूमि लेने को इच्छुक नहीं हो, तो वह भूमि भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी जाती है । सभी कैम्पिंग ग्राउन्ड की पूरी समीक्षा की गई है । सैनिक आवश्यकताओं मे स्थायी रूप से फालतू भूमि निपटान के लिए जारी आम आदेशों के अनुसार स्थायी रूप से फालतू स्थानों का निपटान किया जायेगा । इन अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार की भूमि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाना है परन्तु सरकार के निम्नलिखित पक्षों के साथ गैर-सरकारी समझौता करके नीचे दी गई